न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 4 / 2014

उनवान

1. सीता पत्नी नन्दा
2. गमला पत्नी गोविन्द जाति जाट नि. देराठू, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1 भंवरी पत्नी श्री किशन
2. गिरधारी
3. काना
4. हनुमान
5. शंकर
6. प्रधान
7. काली पि. श्री किशन जाति जाट नि0 देराठू, नसीराबाद
8. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 से 5 जरियें सीताराम रावत
6 से 7 अनुपस्थित
8 जरियें राज0 पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 8.9.20

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 1787 रकबा 0.04, 1788 रकबा 0.28, 1792 रकबा 0.26 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि नसीराबाद से देराठू ग्राम पर जाने वाले आम रास्ते के उत्तरी दिशा की की ओर अप्रार्थीगण के खेत जिनके खसरा नम्बर 1789 व 1790 है स्थित है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी खेतों पर आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1789 व 1790 का उपयोग करते है। उक्त रास्ते की चौडाई 12 फिट है जिस पर होकर प्रार्थीगण अपने खेतों पर कृषि कार्य के लिये आते–जाते है। उक्त रास्ता काफी वर्षो से स्थित है। किन्तु अप्रार्थीगण उक्त रास्तें को अवरूद्व करने पर आमादा है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अतिरिक्त आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 1789 व 1790 में से विधिवत रास्ता दिलवाये जाने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को जवाब के समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 व 7 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। तहसीलदार नसीराबाद ने प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 16:16:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रत्यर्थीपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया गया। हाल खसरा नम्बर 1792 प्रार्थीगण की खातेदारी में है जबकि खसरा नम्बर 1789 व 1790 अप्रार्थीगण की खातेदारी मे है। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट अनुसार "खसरा नम्बर 1792 से जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा 1789 व 1790 का उपयोग किया जा रहा है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। खसरा नम्बर 1789 में 12 गुणा 79 फिट व 1790 में 12 गुणा 40 फिट कुल रास्ता 12 गुणा 119 फिट चाहा गया है। खसरा नम्बर 1792 गांव देराठू की आबादी भूमि के पास स्थित है। व आबादी रास्ते से दूसरा नम्बर का खेत है। प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बर पर खेती के साथ पक्के मकान बनाकर अपने परिवार व घरेलु जानवरों के साथ निवास करते है।"

उक्त रिपोर्ट अनुसार अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर विधमान नही है। प्रार्थीगण द्वारा मौके पर उक्त रास्ते का उपयोग भी किया जा रहा है। प्रार्थीगण की रास्ते की प्रार्थी को आत्यांतिक आवश्यकता भी सिद्व होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। मौका रिपोर्ट में कोई विपरित तथ्य प्रकट नही किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों का ठोस खण्डन नही किया है। साथ ही प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक, दीर्घ, लघु मार्ग उपलब्ध होना भी सिद्व नही किया है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 1789 में 12 गुणा 79 फिट व 1790 में 12 गुणा 40 फिट कुल रास्ता 12 गुणा 119 फिट कुल रकबा 1428 वर्ग फिट आराजी सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। उक्त आराजी की डी. एल. सी. दर से 2 गुना राशि 17820/ अक्षरे सतरह हजार आठ सौ बीस रूपये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 7 को उनके हिस्सेनुसार भूगतान करने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 16:16:12 IST
Reason: SelfAttested